फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी चाकसू

पप्पू देवी बनाम नानगी

संख्या /वर्ष : 250 /2015

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	28/11/23 पत्रावली [illegible] पक्षकार/कार्य [illegible] अनारल [illegible] पत्रावली दिनांक 7/12/23 को पेश हो।	
	7/12/23 पत्रावली [illegible] पक्षकार/कार्य [illegible] कार्यालय अनारल [illegible] पत्रावली दिनांक 3/1/24 को पेश हो।	
	3/1/24 पत्रावली पेश हुई/N.O. [illegible] पक्षकार [illegible] अन्यमार्ग News [illegible] पूर्वानुसार पत्रावली दिनांक 6/3/24 को पेश हो।	
6/3/24	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान वकील उप. वास्ते जवाब दावा पत्रावली दिनांक 22/4/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)	
22/4/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व स्वयंवादी को सायंकाल 6 Pm तक बार-बार आवाज लगाने के बावजूद हाजीर अदालत नहीं आए। न ही वादी की ओर से अन्य कोई पैरवी करने हेतु हाजीर अदालत आए। अतः दावा अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)	